न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
161 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 207	16.06.2023	09.09.2025

अनवान

1– जवानीलाल पिता लादू कुमावत निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– मदनलाल पिता लादू कुमावत निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: **बनाम** ::

1– कैलाशचन्द्र पत्र गोपाल नायक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलाखा –अभिभाषक प्रार्थी
श्री अक्षयराज रेबारी –अभिभाषक विपक्षीगण 1 जवाब बंद
श्री दिनेश व्यास –अभिभाषक विपक्षीगण 2

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम सारांश पटवार हल्का बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा स्थित आराजी नम्बर 219 रकबा 1.06 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण अपनी आराजियात पर पहुंचने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए आराजी नम्बर 230 गै.मु. रास्ता से होते हुए आराजी नम्बर 2885 / 2, 2885 / 1, 2886 से होते हुए आराजी नम्बर 2887 से होते हुए विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी 220 से बढते हुए अपनी आराजी नम्बर 219 पर पहुंचते है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपनी आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु विपक्षीगण संख्या 01 के द्वारा उक्त रास्ते को सीमेंट के पोल व जाली लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया व रास्ते के उपयोग उपभोग करने से मना कर दिया। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है। प्रार्थीगणों के पा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता के कारण प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांकित आवश्यकता है। रास्ते अभाव में प्रार्थीगण का अपनी आराजी पर पहुंच कर काश्त करना संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी अराजी पर पहुंच हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी में से 15 फीट चौड़ाई का नवीन रास्ता दर्ज करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सारांश पटवार हल्का बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा में स्थित विपक्षी संख्या 01 आराजी 220 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त विपक्षीगण संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री अक्षयराज रेबारी एवं विपक्षीगण संख्या 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र व्यास के उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। राज्य सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

विपक्षीगण संख्या 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी संख्या 220 विपक्षी की खाते व कब्जे काश्त की होकर जवाबदाता के यहां रहन है। प्रार्थीगणों के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्तों की अनुपलब्धता होने कथन चाहा गया रास्ता लघुतम होना इस तथ्य की असत्यतता सबित करता है। क्योंकि जब प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो चाहा गया रास्ता लघुतम कैसे हो सकता है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में पहुंचने हेतु जिस कथित आराजी के भाग को रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते है वह वादग्रस्त आराजी 220 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा के यहां रहन होने के कारण बैंक का ऋण राशि चुकाने व बैंक का ऋण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 या अन्य कोई पक्षकार वादग्रस्त आराजियात का हस्तान्तरण या रूपान्तरण कर सकता है। विकल्प के तौर पर अन्यथा परिस्थिति में जवाबदाता बैंक के हितों की सुरक्षा सुनश्चित कराया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षीगण संख्या 01 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विपक्षी संख्या 01 का जवाब बंद किया गया।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण को मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता है। मार्ग की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है। एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि चाहे गये मार्ग अराजी नम्बर 220 की पूर्वी मेर पर आराजी नम्बर 219 से लेकर बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 230 तक मिट्टी डालकर रास्ता बनाया था। जिसे विपक्षी संख्या 01 द्वारा बंद कर दिया गया। वर्तमान में मौके पर आराजी नम्बर 220 की पूर्वी मेर से मिट्टी डालकर बनाया गया रास्ता मौजूद है। वर्तमान में प्रार्थीगण बिलानाम रास्ता दर्ज आराजी नम्बर 230 से अन्य खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 221 के मध्य से होकर अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 222 से होकर आराजी नम्बर 219 में आते जाते है। आराजी नम्बर 221, 222 तथा 221/1049 पर मौके पर काश्त नहीं होकर पड़त है कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी का रास्ता है। आराजी नम्बर 219, 222 दोनों ही प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है। तथा मौके पर भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है। अतः आराजी नम्बर 222 के उत्तरी पश्चिमी कोने से आराजी नम्बर 221 तथा 221/1049 के दोनों तरफ से 15 फीट की चौड़ाई का रास्ता दिया जाना उचित है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से न्यूनतम दूरी का है।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषकगण ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता** :– भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजियात पहुंच हेतु रास्ता अत्यांतिक आवश्यक होना बताया है।
2. **अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना** :– भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अवगत कराया। किन्तु वर्तमान में अन्य खातेदार की आराजी 221, 221/1049 से निकलना बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच हेतु कोई अन्य रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। एवं प्रार्थी द्वारा पूर्व में कार्य आ रहे रास्ते को विपक्षी द्वारा बंद कर दिये जाने के कारण वर्तमान में इस रास्ते से निकल रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना सिद्ध होता है।

3. **लघुतम रास्ता** :– भू0अ0निरीक्षक द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी का बताया है। एवं अन्य खातेदारी आराजी 221, 221/1049 में से निकल रहे रास्ते को कम दूरी का, लघुतम बताया जाकर इसी आराजियात में से 15 फीट चौड़ा नवीन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तावित किया है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 221/1049 के खातेदार काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 221, 221/1049 में से रास्ता आवेदित नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा जिस रास्ते से पूर्व में आ जा रहे है उसी रास्ते की आराजियात में से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि वर्तमान में आराजी नम्बर 220 की पूर्वी मेर पर मिट्टी डालकर बनाया गया रास्ता मौजूद है। जिसे विपक्षी द्वारा बंद कर दिये जाने के कारण ही प्रार्थीगण द्वारा उसी आराजियात में रास्ता हेतु आवेदन किया जाकर आराजी संख्या 220 के खातेदार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अब भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर लघुतम रास्ते की आराजियात के खातेदारों को पुनः पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर उन्हें तलब कर, सुना जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। क्योंकि प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंच हेतु मार्ग की अत्यन्तिक आवश्यकता होकर प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

4. **सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ता** :– प्रार्थीगण द्वारा केवल अपने सुविधाजनक उपयोग के लिए विपक्षी की आराजियात में से रास्ता हेतु आवेदन नहीं किया गया है। क्योंकि मौके पर विपक्षी की आराजियात में से रास्ता होना भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट में आया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा को लिए नवीन रास्ता नहीं मांगा गया है। प्रार्थीगण पूर्व में काम आ रहे रास्ते की आराजियात में से ही रास्ता हेतु आवेदन किया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु रेकार्डेड वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होकर प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम सारांश पटवार हल्का बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी आराजी नम्बर 220 रकबा 0.26 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0. हैक्टेयर(27 मीटर गुणा 3.6576 मीटर/98.7552 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0098 है0 को आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा